

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

1. B. No. 870 /PS/668/0
Date: 19.10.20

क्रमांक: एफ. 1(7)शिक्षा/ग्रुप-3/2017

जयपुर, दिनांक:-15.10.2020

आदेश

19/17 राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के नियम-26 के अन्तर्गत गठित रिच्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.10.2020 की अनुशंसा के आधार पर स्नातक प्राचार्य/उप निदेशक पद की वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 तथा स्नातकोत्तर प्राचार्य/संयुक्त निदेशक पद की वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसाओं में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

क्र.स.	पदनाम	वर्ष	परिवर्तन
1	स्नातक प्राचार्य/उप निदेशक	2014-15	श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री घीस्यालाल मीणा(अजजा) का नाम चयन सूची से विलोपित होगा तथा उस रिक्ति के विरुद्ध डॉ. शकुन्तला मीणा(अजजा) का चयन होगा। डॉ. शकुन्तला मीणा की वरिष्ठता श्रीमती अलका सिंह के नाम के उपर होगी।
2.	---	2015-16	डॉ. शकुन्तला मीणा(अजजा) का नाम चयन सूची से विलोपित होगा तथा श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री घीस्यालाल मीणा(अजजा) का चयन होगा। श्री बाबू लाल मीणा की वरिष्ठता श्री पीयूस कुमार सालोदिया के नाम के नीचे होगी।
3.	स्नातकोत्तर प्राचार्य/संयुक्त निदेशक	2015-16	श्री कन्हैया लाल ढिढोर(अजजा) का नाम चयन सूची से विलोपित होगा तथा डॉ. शकुन्तला मीणा(अजजा) का चयन होगा। डॉ. शकुन्तला मीणा की वरिष्ठता श्रीमती अलका सिंह के नाम के उपर होगी।
4	---	2016-17	श्री रामकेश मीणा(अजजा) का नाम चयन सूची से विलोपित होगा तथा श्री कन्हैया लाल ढिढोर(अजजा) का चयन होगा। श्री ढिढोर की वरिष्ठता श्रीमती रानी देवी अरोड़ा के नाम के नीचे होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1()पीएस/आकाशि/20/485

दिनांक:-20.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित प्राचार्य/अधिकारी।
6. स्थापना शाखा/कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/रोकड़ शाखा।
7. रक्षित पत्रावली।

(संदेश नायक)
आयुक्त